राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रुडाराम बनाम गंगाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/02/2026	508/2018 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 20/02/2026 को पेश हो।	
20/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम नांगल पुरोहित पटवार हल्का नांगल पुरोहित तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 868 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नंबर 875 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 877 रकबा 0 11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 885 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 901 रकबा 0.55 हेक्टेयर, खसरा नंबर 903 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 904 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 905 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 906 रकबा 0.40 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 2. 58 हैक्टेयर जो वादी के पिता की पैतृक भूमि है, जिसकी संपूर्ण खातेदारी वादी के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार वादी के पिता की ग्राम ग्राम नागल पुरोहित पटवार हल्का नांगल पुरोहित तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 871 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 872 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 870 रकबा 31 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.39 हैक्टेयर स्थित है जो वादी के पिता की पैतृक सम्पति है जिसमे वादी के पिता का 3/4 हक हिस्सा एवं खातेदारी है जिसका राज रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राजात है। वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में वादपत्र के मद नंबर 2 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 885, 903, 901, 9041, 905 एवं 906 कुल किता 6 कुल रकबा 1.84 हैक्टेयर में से अपनी पत्नी श्रीमती धन्नी देवी पुत्र रूडाराम प्रतिवादी संख्या 1 एवं पुत्री बरफी देवी के संपूर्ण हिस्से का बेचान कर दिया था एवं अपनी पत्नी पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 एवं पुत्री को उनके हिस्से की विक्रय प्रतिफल राशि अपने जीवनकाल में ही अदा कर दी थी। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि बाद शेष भूमि खसरा नंबर 868 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नंबर 825, रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 877 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर से वादी की माता श्रीमती धन्नी देवी पुत्र रूडाराम प्रतिवादी संख्या 1 एवं पुत्री बरफी देवी प्रभाती देवी का कोई संबंध व सरोकार नहीं रह गया था। इसी प्रकार वादी के पिता की इसी ग्राम में खसरा नंबर 871 रकबा 0.04 हेक्टेयर, खसरा	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रुडाराम बनाम गंगाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नंबर 872 रकबा 0.04 हेक्टेयर खसरा नंबर 870 रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.39 हैक्टेयर भूमि में वाद्री के पिता का 3/4 हक हिस्सा एवं खातेदारी थी। वादी के पिता के देहावसान के बाद भूमि खसरा नंबर 868 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नंबर 875 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 877 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर संपूर्ण एवं खसरा नंबर 871 रकबा 0.04 हेक्टेयर, खसरा नंबर 872 रकबा 0.04 हेक्टेयर, खसरा नंबर 870 रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर का 3/4 भाग का 1/2 अर्थात 3/8 भाग वादी का है एवं 3/8 भाग प्रतिवादी संख्या 1 का है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि के संबंध में वादी को बार बार परेशान किया जा रहा है एवं वादी को ऐलानिया धमकी भी दी गई। जिस कारण वादकारण उत्पन्न हुआ एवं जो लगातार जारी है। वाद पत्र के अन्त में ईस्तदया चाही गयी कि वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सालिम डिकी किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि वादी के पिता के देहावसान के बाद वाके ग्राम नांगल कार्यपालक मजिस्ट्रर तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 888 रकबा 0.43 हैक्टेयर खसरा नंबर 875 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 877 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर संपूर्ण एवं खसरा नंबर 871 रकबा 0.04 हेक्टेयर, खसरा नंबर 872 रकबा 0.04 हेक्टेयर, खसरा नंबर 870 रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.39. हैक्टेयर का 3/4 भाग का 1/2 अर्थात 3/8 भाग वादी खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब वाद प्रस्तुत किया गया | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर निर्णय व डिक्री दिनांक 19/06/2018 पारित करते हुये वादीगण/रेस्पो. का वाद डिक्री फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत चल रही थी, जिसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19/06/2018 को पत्रावली राजस्व कैम्प कोर्ट ग्राम नागल पुरोहितान में नियत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वादी के वाद को डिक्री कर दिया गया जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज/नोटिस उपलब्ध नही है, जिससे की पत्रावली को राजस्व कैम्प कोर्ट में नियत की जाने की सूचना पक्षकारान को दिया जाना स्पष्ट होता है | राजस्व कैम्प कोर्ट/लोक अदालत में विधि अनुसार आपसी सहमति के प्रकरणों का ही निस्तारण किया जाना होता है एवं प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर नियमित न्यायालय में निस्तारित किया जाना होता है | ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधिक प्रक्रियाओ की समुचित अनुपालना नही की गयी है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19/06/2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये समस्त पक्षकारान को साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुती का समुचित अवसर प्रदान कर वाद के निस्तारण हेतु अनिवार्य प्रक्रियाओ को पूर्ण कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 20/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |